प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 128/2023

अनवान : –

1. सोमवीर पुत्र श्योकरण जाति छिंपा (छीपी) निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

–प्रतिवादी

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थिति :– श्री चन्द्रशेखर अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांकः 30.05.2023

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा मेघसिंहपुरा तहसील नोहर के खाता स0 160/164 के खसरा नं0 976/1 की 2.5290 हैक्ट भूमि एवं खसरा नं0 977/2 की 4.2760 हैक्ट भूमि कुल 6.8050 है0 भूमि में से 253/6805 हिस्सा भूमि वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी का नाम सहवन से ओमवीर पुत्र श्योकरण राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम सोमवीर पुत्र श्योकरण है। यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का अन्य दस्तावेजात यथा मतदाता पहचाना पत्र, आधारकार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, जनआधार कार्ड आदि में वादीया का नाम सोमवीर दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत दर्ज हुआ है, इसलिए राजस्व रिकार्ड में वादी अपना नाम संशोधित करवाने की अधिकारी है। वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम संशोधन करने के आदेश फरमावें।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 कैम्प कोर्ट में पेश हुई। हमने वादी को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया। रोही मौजा मेघसिंहपुरा तहसील नोहर के खाता स0 160/164 के खसरा नं0 976/1 की 2.5290 हैक्ट भूमि एवं खसरा नं0 977/2 की 4.2760 हैक्ट भूमि कुल 6.8050 है0 भूमि में से 253/6805 हिस्सा भूमि वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें प्रांर्थी का नाम ओमवीर पुत्र श्योकरण दर्ज है। वादी का कथन है कि उसका सही नाम सोमवीर है यही नाम अन्य दस्तावेज में भी दर्ज है तथा रिपोर्ट पटवारी हल्का सोनड़ी, भू0अ0नि0 सोनड़ी एवं तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट में भी नाम संशोधन की अभिशंषा की गई है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा मतदाता पहचाना पत्र, आधारकाड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, जनआधार कार्ड आदि में वादी का नाम सोमवीर दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है। वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर वादी का नाम सोमवीर होना प्रतीत होता है। नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नही है बल्कि राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा तहसीलदार एवं भू0अ0नि0 एवं पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर रोही मौजा मेघसिंहपुरा तहसील नोहर के खाता स0 160/164 के खसरा नं0 976/1 की 2.5290 हैक्ट भूमि एवं खसरा नं0 977/2 की 4.2760 हैक्ट भूमि कुल 6.8050 है0 भूमि में से 253/6805 हिस्सा भूमि वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में ओमवीर पुत्र श्योकरण के स्थान पर सोमवीर पुत्र श्योकरण नाम के अंकन की घोषणा की जाती है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच वादी ओमवीर के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का ओमवीर नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी का नाम ओमवरी ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हों।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:35:12 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 30/5/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023
नोहर (हनुमानगढ़) कैम्प : सोनड़ी

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 128/2023
अनवान : –

1. सोमवीर पुत्र श्योकरण जाति छिंपा (छीपी) निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

–प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 128 सन 2023 निर्णय दिनांक 30.05.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री चन्द्रशेखर एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा मेघसिंहपुरा तहसील नोहर के खाता स0 160/164 के खसरा नं0 976/1 की 2.5290 हैक्ट भूमि एवं खसरा नं0 977/2 की 4.2760 हैक्ट भूमि कुल 6.8050 है0 भूमि में से 253/6805 हिस्सा भूमि वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में ओमवीर पुत्र श्योकरण के स्थान पर सोमवीर पुत्र श्योकरण नाम के अंकन की घोषणा की जाती है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच वादी ओमवीर के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का ओमवीर नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी का नाम ओमवरी ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/5/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी कि गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–सोनड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:35:12 IST
Reason: SelfAttested